आबंटियों को प्लाटों पर मकानों का निर्माण करने के लिये ऋण सहायता दे रही है। समिति ने अब तक 9.94 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है। समिति के लिये वित्त का मुख्य साधन भारतीय जीवन बीमा निगम है।

जून, 1976 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ये मार्गदर्शन जारी किये थे कि वे समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये उद्दिष्ट आवास योजनाओं के लिये वित्तीय व्यवस्था करें। 31 दिसम्बर, 1976 तक राजस्थान के विभिन्न बैंकों ने समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये उद्दिष्ट आवास योजनाओं के लिये 12.10 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किये थे और दी गई राशि 1.06 लाख रुपये थी।

(ग) ग्रामीण आवास को बढ़ावा देने के लिये राजस्थान सरकार भूमिहीन परिवारों को ईंट बनाने की मिट्टी बजरी, मुरम, पत्थर आदि जैसी भवन सामग्री बिना मूल्य देती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार आवास तथा नगर विकास निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों से सहायता लेकर राजस्थान आवास बोर्ड के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के प्रश्न पर विचार कर रही है।

ऋण मुक्ति

967. **श्री बालोरथ भंवर** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात काल के दौरान ऋण मुक्ति के लिये फर्जी कार्यवाहियों के बारे में सरकार को जानकारी मिली है ;

(ख) क्या सरकार का विचार फर्जी ऋण मुक्ति के ऐसे मामलों की जांच कराने के लिये कोई आयोग या समिति गठित करने का है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य का भी पता है कि ऋण मुक्ति की आड़ में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ था ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ग). कृषि ऋणग्रस्तता से राहत राज्य का विषय है ; राज्य सरकारों ने ऋण स्थगन, ऋणों से मुक्ति तथा ऋणों को कम करने के रूप में ऋण-ग्रस्तता से राहत दिलाने के लिये अधिनियम पारित किए हैं। भारत सरकार का ऋण परिसमापन के लिए की गई झूठी कार्यवाहियों अथवा गंभीर भ्रष्ट तरीकों के मामलों की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश व बड़े नगरों को स्वच्छ और सुन्दर बनाने के लिए केन्द्र सहायता योजना

968. **श्री कल्याण जैन** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व देश के कुछ प्रमुख नगरों को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के लिये केन्द्र सहायियन योजना प्रारम्भ की गई थी ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत किन-किन नगरों का कार्य प्रारम्भ किया गया और केन्द्र सरकार द्वारा इस के लिये कितनी सहायता दी गई ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत लिये गये अन्य नगरों के नाम क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) शहरों को संवारने के विशिष्ट उद्देश्य से केन्द्रीय क्षेत्र में कोई योजना आरम्भ नहीं की गई थी। तथापि, गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की योजना अप्रैल, 1972 में इस उद्देश्य से आरम्भ की गई थी कि ऐसी गन्दी बस्तियों में अनिवार्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जायें जिन्हें कम से कम 10 वर्ष तक हटाना अपेक्षित नहीं है। यह योजना 31 मार्च, 1974 तक केन्द्रीय क्षेत्र में थी और इसे पांचवीं योजना के प्रारम्भ में राज्य क्षेत्र में हस्तान्तरित कर दिया गया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत इन्दौर शहर आता है।

विवरण

गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत आए शहर तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता की राशि का विवरण।

क्रम सं०	शहर का नाम	1972–73 तथा 1973–74 में दी गई अनुदान की राशि
1.	कलकत्ता	5,89,00,000
2.	बम्बई	2,55,83,500
3.	दिल्ली	1,75,77,500
4.	मद्रास	2,95,16,000
5.	हैदराबाद	30,35,800
6.	अहमदाबाद	14,00,850
7.	बंगलौर	72,82,350
8.	कानपुर	1,32,19,000
9.	लखनऊ	1,24,04,999
10.	पूना	27,31,000
11.	नागपुर	1,02,18,198
12.	इन्दौर	28,06,000
13.	जयपुर	46,57,440
14.	श्रीनगर	30,00,000
15.	पटना	21,18,000
16.	कोचीन	9,70,000
17.	लुधियाना	39,66,660
18.	कटक	7,88,000
19.	गोहाटी	1,81,000
20.	रोहतक	7,89,500

चावल के क्षेत्र बनाना

969. श्री मीठा लाल पटेल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चावल के कितने क्षेत्र हैं और क्या चावल की खपत वाले क्षत्रों को चावल क्षेत्रों में नहीं रखा गया है ; और उदाहरणतया राजस्थान को उत्तरी क्षेत्र के स्थान पर दक्षिण क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है ; और

(ख) क्या इन क्षेत्रों के बनाने के समय उन सिद्धान्तों को ध्यान में नहीं रखा गया जिनकी ध्यान में रखना जरूरी है और सरकार की इस बारे में इस समय क्या नीति है ?